

This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 28 दिसम्बर, 2020 / 7 पौष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 89 / 2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 दिसंबर, 2020

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—17/2020.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 14/2020—राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020

जोिक हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020 दिनांक 24 जून, 2020 को प्रकाशित हुई थी, के प्रावधानों का 1 दिसंबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के बीच की अविध में अनुपालन नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत देय दंड की राशि को माफ करते हैं, यह इस शर्त के अधीन है कि उक्त व्यक्ति 1 अप्रैल, 2021 से उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-17/2020 dated, 23-12-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 89/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd December, 2020

No. EXN-F(10)-17/2020.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to waive the amount of penalty payable by any registered person under section 125 of the said Act for non-compliance of the provisions of notification No.14/2020–State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020, between the period from the 01st day of December, 2020 to the 31st day of March, 2021, subject to the condition that the said person complies with the provisions of the said notification from the 01st day of April, 2021.

By order,

Sd/-*Pr. Secretary (E&T).*

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 90/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 दिसंबर, 2020

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—17/2020.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप—धारा (4) के अनुसरण में, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 78/2020 केन्द्रीय कर, दिनांक 15 अक्तूबर, 2020, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग 2, खण्ड—3, उपखण्ड (i) की सा.का.नि. 638(अ), दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 और अधिसूचना संख्या 90/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 1 दिसंबर, 2020, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग—2, खण्ड—3, उपखण्ड (i) की सा.का.नि 638(अ), दिनांक 1 दिसंबर, 2020, को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम और नियम, 2017 में उत्परिवर्ती उत्परिवर्तन (mutatis mutandis) लागू करते हैं।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार। टिप्पणी.— मूल अधिसूचना सं 12/2017—राज्य कर, दिनांक 30 जून, 2017 जो कि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई०एक्स०एन०—एफ(10)—15/2017, दिनांक 30 जून 2017, को प्रकाशित की गई थी।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-17/2020 dated, 23-12-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 90/2020-StateTax

Shimla-2, the 23rd December, 2020

No. EXN-F(10)-17/2020.—In pursuance to sub-section (4) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to notify that the notification No. 78/2020-Central Tax, dated the 15th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 638(E), dated 15th October, 2020 and notification No. 90/2020-Central Tax, dated 1st December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 638(E), dated the 1st December, 2020 shall also apply mutatismutandis to the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act and Rules, 2017.

By order, Sd/-Pr. Secretary (E&T).

Note.— The principal notification No. 12/2017-State Tax dated the 30th June 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-15/2017 dated the 30th June, 2017.

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2020

संख्याः एफ0एफ0ई0—बी0—एफ0(14)—88 / 2020.——भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप—धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप—धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।